रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936
No. 708] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936

## संस्कृति मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

**सा.का.नि. 934(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (श्रेणी 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1963, जहां तक इनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से है ; और (ii) राष्ट्रीय संग्रहालय (श्रेणी 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1971, जहां तक इनका संबंध सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से है, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची से उपाबद्ध स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदागत विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदागत विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद या अचयन पद | सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी | 1*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-3,15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600/-रू. | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | प्रोन्नत किए | संयुक्त पद्धति द्वारा (जिसके अंतर्गत | संयुक्त पद्धति:<br>(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित | लागू नहीं | पद को भरते समय संघ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति+ प्रोन्नति भी है) | प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति भी है) :<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या लोक उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी :—<br><br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या<br><br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. + ग्रेड-वेतन 4600/-रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो; या<br>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. + ग्रेड-वेतन 4200/-रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष सेवा की हो ; और<br><br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; अर्थात :—<br>आवश्यक :<br>i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।<br>ii. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में 5 वर्ष का पेशेवर अनुभव।<br><br>वांछनीय :<br>(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण का 01 वर्ष का अनुभव।<br><br>(ii) संग्रहालय या कला वीथि के किसी पुस्तकालय में एक वर्ष का वृत्तिक अनुभव।<br><br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। | होता। | लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | टिप्पण: विभागीय पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, जो इस श्रेणी में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. + ग्रेड-वेतन 4200/-रु में हैं, तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कम से कम बैचलर की डिग्री रखते हों, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और उसका इस पद पर चयन होने की दशा में, इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।<br><br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।<br><br>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, और वहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिपुनर्संस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. पुस्तकालय एवं सूचना सहायक | 1* * (2014) कार्यभार के आधार | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800 रू. +ग्रेड वेतन | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक | अनिवार्य:<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री।<br>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पर परिवर्तन किया जा सकता है। | | 4200 रू. | | शिथिल की जा सकती है)<br><br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। | क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में 2 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।<br><br>वांछनीय :<br><br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।<br><br>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष। | सीधी भर्ती द्वारा।<br>नोट : किसी पदधारी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले तथा स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी। | लागू नहीं होता। | समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:<br><br>1. निदेशक / उप सचिव (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय — अध्यक्ष<br><br>2. निदेशक (सी एंड ए) राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य<br>3. अवर सचिव (एम-1), संस्कृति मंत्रालय —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 6-28/2012-एम-1]

**प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव**

## MINISTRY OF CULTURE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2014

**G.S.R. 934(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) National Museum , New Delhi, (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as it relates to the post of Librarian ; and (ii) the National Museum (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, in so far as it relates to the post of Assistant Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Library and Information Officer and Library and Information Assistant in the National Museum, New Delhi in the Ministry of Culture, namely:—

**1. Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Library and Information Officer and Library and Information Assistant (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification reqd. for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.Library and Information Officer | 1*<br>*(2014) Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group A Gazetted. Non-Ministerial | PB – 3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs.6600/- | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation /absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | Two years for promotees | By composite method [Deputation(including | Composite method [Deputation(including short | Not applicable | Consultation with Union |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | short term contract) plus Promotion]. | term contract plus promotion] : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations:<br>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or Department; or<br>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and<br>(b)Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-<br>Essential :<br>(i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institution.<br><br>(ii) Five years' professional experience in a Library under the Central Government or State Governments or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research or Educational Institution.<br><br>Desirable:<br>(i) One year experience of computerising Library activities in a Library under the Central Government or State Governments or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research or Educational Institution;<br>(ii) One year professional experience in a Library of Museum or Art Gallery.<br>(iii)Diploma in Computer Application from a recognised university or institute. | | Public Service Commission is necessary for filing up of post. |
| | | | Note: Departmental Library and Information Assistant in Pay Band -2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200/- with ten | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | years regular service in the Grade and possessing at least Bachelor's degree in Library Science or Library and Information science of a recognised University or Institute shall also be considered along with outsiders and in case he or she is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion otherwise, it will be treated as having been filled by Deputation(including short term contract).<br>(Period of deputation(including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).<br>**Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | **(7)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Library and Information Assistant | 1*<br>*(2014) subject to variation dependent on workload | General Central Service Group B Non-Gazetted Non-Ministerial | PB-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200 | Not applicable | Not exceeding 30 years<br>(Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note :** The crucial date for | Essential :<br>(i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institution.<br>(ii) Two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Governments or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institution. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman or Nicobar Islands or Lakshadweep). | Desirable:<br><br>Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.<br><br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission / Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | **(13)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years for direct recruits | By direct recruitment.<br>Note:<br>Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). | Not applicable | Group 'B' Departmental Confirmation Committee:<br>1. Director/Deputy Secretary (Museum), Ministry of Culture – Chairman.<br>2. Director (C and A), National Museum - Member.<br>3. Under Secretary (M-1), Ministry of Culture - Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. 6-28/2012-M-1]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.